पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

पटना कारपोरेशन

१९५२

सशक्त स्थायी समिति की 5वीं साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक :- 27.07.2023

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.	रेशमी कुमारी	सीता साहू
नगर आयुक्त	उप-महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No./ पत्रांक 11242
Date / दिनांक 09/09/2023

1

SEC-M.V.115/119/2

दिनांक-27.07.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 5वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम।
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप-महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कान्ति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री आशीष कुमार सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री विनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

निगम प्रशासन

1. श्री अनिमेश कुमार पराशर, भा.प्र.से. - नगर आयुक्त, प0न0नि0
2. श्रीमती शीला ईरानी, (भा.पु.से.) - अपर नगर आयुक्त, प0न0नि0
3. श्री देवेन्द्र सुमन - संयुक्त नगर आयुक्त -सह-नगर सचिव
4. श्री सुरेश प्रसाद सिंह - निदेशक, शहरी योजना
5. श्री सुरेन्द्र कु0 सिन्हा - मुख्य नगर अभियंता
6. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
7. श्री बब्लु कुमार गुप्ता - कार्यपालक अभियंता, विद्युत
8. श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष - कार्य0 अभियंता, कंकड़बाग प्रमंडल
9. श्री प्रवीन्द्र प्रसाद - कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति
10. श्री अवधेश कुमार सिंह - निजी सहायक
11. श्री विलास मांझी - निजी सहायक

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत करती हूँ।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर के अनुमति से बैठक की कार्रवाई शुरू की जाती है। नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

नगर सचिव :- बैठक में उपस्थित माननीया महापौर, उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत है।

मद सं0-01 :- **दिनांक-26.06.2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।**

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-26.06.2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह:- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-72 :- **सर्वसम्मति से दिनांक-26.06.2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद सं0-02 :- **पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल में निगम भवन निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नूतन राजधानी अंचल में निगम भवन निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम एकीकृत मुख्य कार्यालय भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पूर्व में पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 49 वीं साधारण बैठक से निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। यह निर्माण नूतन राजधानी अंचल कार्यालय भूखण्ड पर बनाने का प्रस्ताव है।

निगम भवन का प्रस्तावित निर्माण B+G+4 स्वरूप मे रहेगा। प्रस्ताव में वर्तमान में नूतन राजधानी अंचल सह कार्यालय भवन को तोड़कर कुल 3636.91 वर्गमीटर भूखण्ड में वर्णित संरचना के निर्माण का प्रस्ताव है। भवन में हरित पट्टी एवं Set Back को छोड़ते हुए 40% भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है। CPWD के Plinth Area Rate 2021 के अनुसार प्रस्तावित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 27.6207 करोड़ रूपये है। वर्णित राशि के प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन विभाग से प्राप्त कर लिया गया है। प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट एवं भूतल पर पार्किंग, कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेंटर Vehicle Tracking, Grievance Redressal कार्यालय, जन्म मृत्यु एवं राजस्व इत्यादि के काउन्टर लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय तल पर माननीया महापौर, उपमहापौर, नगर आयुक्त के कार्यालय सहित निगम के सभी शाखा कार्यालय अवस्थित रहेंगे। तृतीय एवं चतुर्थ तल पर Urban Innovation Centre, IT Cell, SBM Training Centre एवं नियंत्रण कक्ष का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित भवन की अनुमानित लागत 27.6207 करोड़ के विरूद्ध लगभग 17.09 करोड़ राशि की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि आवंटन हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा। जिसमें Urban Innovation Centre के लिए रू०– 5,00,00,000.00, Command Centre के लिए रू०– 4,51,01,672.00, Vehicle Training & Complain Redressal System के लिए रू०- 2,57,34,786.00 एवं SBM Training Centre के लिए रू०– 5,00,00,000.00 शामिल है। तकनीकी अनुमोदित राशि के अनुरूप वर्णित राशि रू0 27.6207 करोड़ रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

भवन निर्माण से संबंधित भवन का मानचित्र एवं निर्माण का विवरण प्रदर्शन के माध्यम से भी दिखाया जाय।

मुख्य नगर अभियंता :- माननीया महापौर महोदया की अनुमति से भवन का डिजाइन एवं निर्माण का प्रजेनटेशन दिखाना चाहूँगा।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रथम एवं द्वितीय तल पर निगम का कार्यालय होना चाहिए एवं महापौर, उप-महापौर तथा नगर आयुक्त का कार्यालय भी एक ही तल पर होना चाहिए। मुख्य नगर अभियंता एवं आर्किटेक्ट के द्वारा निगम भवन का जो डिजाईन तैयार किया गया है वह काफी आकर्षक एवं सुन्दर है।

यह निगम की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लग रहा है कि माननीया महापौर एवं नगर आयुक्त महोदय के प्रयास से यह योजना बहुत जल्द धरातल पर दिखेगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम का भवन आकर्षक एवं सुन्दर हो। भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भवन निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाय। आशा करते हैं कि बहुत जल्द निगम भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पूर्व में भी भवन /मॉल के निर्माण हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेकिन उसका निर्माण नहीं हो सका। मेरा सुझाव है कि इस निगम भवन को बनाने के लिए राशि का भी उपबंध होना चाहिए। ताकि निर्माण कार्य बाधित न हो। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित निर्माण हेतु जो नक्शा तैयार किया गया है वो B+G+4 के जगह B+G+5 हो।

नगर आयुक्त :- निगम भवन के निर्माण में राशि की कमी नहीं होगी।

प्रस्ताव संख्या-73 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल कार्यालय के भू-खण्ड पर निगम भवन निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद सं0-03 :- **मौर्यालोक कम्पलेक्स स्थित मौर्या टावर के पारित नक्शे के अनुरूप G+9 भवन बनाने के संबंध में।**

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

अध्यक्ष :- मौर्या टावर के पारित नक्शे के अनुरूप G+9 भवन बनाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- मौर्यालोक स्थित मौर्या टावर बहुमंजिली भवन B+5 स्तर तक विकसित है। पूर्व में इसकी स्वीकृति G+9 संरचना के लिए हुई थी। मे0 वालिया बिल्डर्स के द्वारा काम करने के दौरान कुछ कारणों से भवन का निर्माण G+5 तक ही हुआ है। पुन: दिनांक-22.07.2023 को आहूत पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की पाँचवी साधारण बैठक में पारित नक्शे के अनुरूप G+9 भवन बनाने हेतु कार्य सूची में शामिल किया गया है।

इस भवन का निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। उस वक्त पटना भूकम्प के दृष्टिकोण से सिस्मिक जोन(Seismic Zone) 3 में था। वर्तमान में सरकार ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें पटना सिस्मिक जोन (Seismic Zone) 5 में है। इस कारण तकनीकी विशेषज्ञों ने इसे G+7 तक ही बनाने का सुझाव दिया है। मौर्या टॉवर में इसी के मद्देनजर G+9 के जगह G+7 बनाने का ही प्रस्ताव संशोधित कर बैठक में लाया गया है। बहुमंजिली भवन के अवशेष कार्य पटना स्मार्ट सिटी से कराए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार निम्नांकित शर्तों के अनुरूप मौर्याटॉवर में अवशेष कार्य कराए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संसूचित करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

1. भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. भवन निर्माण में होने वाले व्यय का वहन पटना स्मार्ट सिटी को करना होगा।
3. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
4. कार्य के दौरान Debris का उठाव पटना स्मार्ट सिटी को स्वयं करना होगा।
5. भवन का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।
6. भवन में आवश्यकतानुसार लिफ्ट भी लगाया जाएगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मौर्यालोक कम्पलेक्स स्थित मौर्या टावर को जी+7 तक बनाने का प्रस्ताव है। पूर्व से जी+9 भवन बनाने का नक्शा पारित है। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे जी+9 के स्थान पर जी+7 भवन बनाने की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भवन का निर्माण होना चाहिए। लेकिन भवन का निर्माण किस मद के राशि से होगा, इसका उल्लेख होना चाहिए।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- भवन का निर्माण एवं व्यय पटना स्मार्ट सिटी द्वारा किया जाएगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-74 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौर्यालोक कम्पलेक्स स्थित मौर्या टावर के पारित नक्शे G+9 में तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा दिये गये सुझाव एवं निर्देश के आलोक में संशोधन करते हुए G+7 भवन निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों एवं बन्धेज पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। शर्त एवं बन्धेज निम्नवत् हैं :-

1. भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. भवन निर्माण में होने वाले व्यय का वहन पटना स्मार्ट सिटी को करना होगा।
3. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
4. कार्य के दौरान Debris का उठाव पटना स्मार्ट सिटी को स्वयं करना होगा।
5. भवन का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।
6. भवन में आवश्यकतानुसार लिफ्ट भी लगाया जाएगा।

मद सं0-04:- पटना नगर निगम में बेहतर सफाई कार्य के लिए 06 अदद सुपर सकर मशीन क्रय के संबंध में।

अध्यक्ष :- 06 अद्द सुपर सकर मशीन क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम द्वारा तरल कचरा प्रबंधन के तहत विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तरल कचरा प्रबंधन के दिशा निर्देश के अन्तर्गत सभी नालों के सफाई का कार्य यांत्रिक तरीके से किया जाना है एवं मानव बल से उक्त कार्य करवाने पर पूर्णतः रोक लगाना है। वर्तमान में पटना नगर निगम के पास 06 अद्द सुपर सकर हैं। नगर निगम का क्षेत्र काफी वृहत होने के कारण उपलब्ध 06 सुपर सकर से सभी जगहों पर बंद भू-गर्भ नालों की सफाई ससमय नहीं हो पाती है। अतएव प्रत्येक अंचलों हेतु कुल 06 अदद सुपर सकर का क्रय किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः 06 अद्द सुपर सकर का क्रय हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सुपर सकर मशीन आने से भूगर्भ नालों की सफाई कार्य में तेजी आएगी और मानव बल की क्षति होने से बचाया जा सकता है। यह प्रस्ताव निगमहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

संलेख में यह उल्लेख होना चाहिए कि किस मद से राशि का व्यय किया जाएगा।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। संलेख में ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उक्त योजना में किस मद से राशि का व्यय किया जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सुपर सकर मशीन क्रय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- सुपर सकर मशीन का क्रय राज्य योजना/एस0बी0एम0 मद से कराया जायेगा।

प्रस्ताव सं0-75 :- सर्वसम्मति से पटना नगर निगम में बेहतर सफाई कार्य के लिए 06 अदद सुपर सकर मशीन क्रय के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

सुपर सकर मशीन का क्रय राज्य योजना/ एस.बी.एम. मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा।

मद सं0-05 :- Precast Modular Toilet निर्माण के संबंध में।

अध्यक्ष :- Precast Modular Toilet निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- Pre Cast Modular Tiolet निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, Pre Cast Modular Toilet के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। संलेख से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसके निर्माण पर होने वाले खर्च का वहन कौन करेगा। बिहार प्रदेश के बहुत सारे निगम के अन्तर्गत Pre Cast Modular Toilet का निर्माण ऐजेंसी स्वयं करती है तथा उसके रख-रखाव/संचालन पर होने वाले खर्च का वहन निगम करती है। इस संबंध में निर्माण करने वाले एजेंसी एवं पटना नगर निगम के बीच O&M का एकरारनामा किया जाता है।

अतः मेरा सुझाव है कि ऐसी एजेंसियों का चयन किया जाय जो Pre Cast Modular Toilet के निर्माण पर होने वाले खर्च का वहन स्वयं करें तथा उसका O&M भी करे। निगम O&M के खर्च का वहन करेगी। निगम के द्वारा लोगों को इसकी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाय।

नगर आयुक्त :- स्वच्छ भारत मिशन में जो फंड है, उसी मद की राशि से O&M का भुगतान किया जाएगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, Pre Cast Modular Toilet के अधिष्ठापन का प्रस्ताव अच्छा है। माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है। उसके आधार पर ही Pre Cast Modular Toilet के निर्माण की स्वीकृति दी जाय। इससे निर्माण पर होने वाले निगम मद का व्यय बचाया जा सकता है। गया नगर निगम जैसे कई महत्वपूर्ण नगर निकाय में इस मॉडल पर कार्य हो रहा है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0-76 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Precast Modular Toilet के निर्माण एवं O&M के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त्त एवं बंधेज :-

1. Precast Modular Toilet के निर्माण हेतु स्थल पटना नगर निगम उपलब्ध करायेगी।
2. Precast Modular Toilet के निर्माण पर होने वाले व्यय का वहन एजेंसी करेगी।
3. O&M पर होने वाला व्यय का वहन पटना नगर निगम द्वारा किया जाएगा।
4. Precast Modular Toilet निर्माण के उपरान्त इस पर मालिकाना हक पटना नगर निगम का होगा।

मद सं0-06:- पटना नगर निगम के लिए 150 CNG Close Tipper क्रय के संबंध में।

अध्यक्ष :- 150 CNG Close Tipper क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- पटना नगर निगम द्वारा घर-घर से कचरा का संग्रहण हेतु डीजल चालित 375 अदद Close Tipper का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे 375 अदद डीजल चालित Close Tipper गाड़ियों का क्रय वर्ष-2018 में किया गया था। गाड़ियों के पुराना हो जाने के कारण प्राय: तकनीकी खामियाँ आती रहती हैं जिसके कारण ससमय कचरा का संग्रहण नही हो पाता है। वर्तमान में डीजल चालित गाड़ियों से पर्यावरण काफी दूषित होता है। अतएव निगम के उक्त आवश्यक कार्य हेतु प्रत्येक वार्ड में 2-2 अदद अर्थात कुल 150 अदद CNG चालित Close Tipper क्रय करने का निर्णय लिया जा सकता है। CNG चालित Close Tipper का उपयोग से पर्यावरण को बहुत हद तक दूषित होने से रोका जा सकता है। अत: इस परिप्रेक्ष्य में 150 अदद CNG चालित Close Tipper को क्रय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है। राशि की मांग SBM के तहत विभाग से मांग की जायेगी।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पर्यावरण को देखते हुए CNG चालित वाहन का क्रय जनहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- **पटना नगर निगम के लिए CNG Close Tipper का क्रय राज्य योजना के मद की राशि से की जाएगी।**

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कूड़ा उठाव के लिए वाहनों की कमी है। 150 CNG Close Tipper क्रय होने से सफाई कार्य में काफी सुधार आयेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए 150 CNG Close Tipper का क्रय निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-77 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के लिए 150 CNG Close Tipper क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। CNG Close Tipper का क्रय राज्य योजना मद/ SBM मद से किया जायेगा।**

मद सं0-07 :- पटना नगर निगम के लिए 30 CNG Open Tipper क्रय के संबंध में।

अध्यक्ष :- 30 CNG Open Tipper क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- 30 अदद CNG चालित Open Tipper का क्रय हेतु निर्णय सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पर्यावरण को देखते हुए CNG Open Tipper का क्रय किस मद की राशि से होगा।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के लिए CNG Open Tipper का क्रय राज्य योजना एवं SBM मद की राशि से किया जायेगा।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कूड़ा उठाव के लिए वाहनों की कमी है। 30 CNG Open Tipper क्रय होने से सफाई कार्य में काफी सुधार आयेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- स्वच्छता अभियान के मजबूती प्रदान करने के लिए 30 CNG Open Tipper का क्रय निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-78 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के लिए 30 CNG Open Tipper क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। 30 CNG Open Tipper का क्रय राज्य योजना मद/ SBM मद से किया जायेगा।**

मद सं0-08 :- **पटना नगर निगम के 06 अंचलों में एक-एक Transfer Station बनाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- 06 अंचलों में एक-एक Transfer Station बनाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र से एकत्रित ठोस अपशिष्टों को छोटे वाहनों द्वारा सभी अंचलों में स्थित अस्थायी Transfer Station पर गिराया जाता है। उसके उपरान्त बड़ी गाड़ियों से अपशिष्टों को रामाचक बैरिया डंपिंग यार्ड में गिराया जाता है। वर्तमान में निगम क्षेत्र में कोई भी Mechanized Transfer Station नहीं है। Mechanized Transfer Stationमें Hook Loader एवं Compactor का उपयोग किया जाता है। Compactor के द्वारा ठोस अपशिष्टों को संघनित किया जाता है जिसके कारण ठोस अपशिष्टों का आयतन काफी कम हो जाता है। ठोस अपशिष्टों के आयतन कम होने से बड़े गाड़ियों में एक समय में काफी मात्रा में अपशिष्टों का वहन किया जा सकता है। अतएव कार्य की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक अंचल में

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

एक-एक Mechanized Transfer Station के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में पटना नगर निगम के 06 अंचलों में एक-एक Transfer Station के निर्माण हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, Transfer Station के निर्माण हेतु निगम के सभी 06 अंचलों में जगह चिन्हित करना होगा। जहाँ पर सुविधा पूर्वक वाहन का आवागमन हो सके।

कार्य0अभि0मुख्यालय :- Transfer Station के साथ-साथ कर्मशाला का भी निर्माण होना चाहिए। जहाँ वाहनों की मरम्मति की जा सके।

अपर नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अजीमाबाद एवं पटना सिटी अंचल में Transfer Station के लिए जगह उपलब्ध नहीं है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, Transfer Station अजीमाबाद एवं पटना सिटी अंचल में भी जगह चिन्हित करने के लिए कार्रवाई करें एवं इसका डी0पी0आर0 तैयार कर उपस्थापित करें।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- Transfer Station के लिए राशि किस मद से दिया जाएगा।

नगर आयुक्त :- SBM मद में 13-14 करोड़ रू0 शेष बचे हुए हैं। जिससे निर्माण कराया जायेगा।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-79 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के 06 अंचलों में एक-एक Transfer Station बनाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। Transfer Station निर्माण का व्यय SBM मद से किया जाएगा।**

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद सं0-09:- **पटना नगर निगम में 06 शव वाहन क्रय के संबंध में।**

अध्यक्ष :- 06 शव वाहन क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम का क्षेत्र काफी बड़ा है। नागरिकों को सुविधा देने हेतु निगम के पास कोई शव वाहन नहीं है। निगम क्षेत्र में आम नागरिकों के मृत शव को श्मशान घाट तक पहुँचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राईवेट शव वाहन मालिकों के द्वारा काफी पैसे की मांग की जाती है। निगम के द्वारा शव वाहन क्रय करने पर आम नागरिकों को सुविधा होगी। इस उदेश्य के पूर्ति के लिए प्रत्येक अंचल में एक-एक शव वाहन कुल 06 शव वाहन क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम का अपना शव वाहन होना चाहिए। जिससे निगम क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा मिल सके।

श्री बिनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, 06 शव वाहन क्रय का प्रस्ताव अच्छा है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- अध्यक्ष महोदया, अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- पटना नगर निगम का अपना शव वाहन होने से, जिससे निगम क्षेत्र के नागरिकों को त्वरित सुविधा उपलब्ध होगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-80 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के सभी 06 अंचलों में एक-एक शव वाहन कुल 06 शव वाहन क्रय के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद सं0-10 :- **श्रीकृष्णा पुरी स्थित पटना नगर निगम के जीर्णशीर्ण सामुदायिक भवन के निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- श्रीकृष्णा पुरी स्थित पटना नगर निगम के जीर्णशीर्ण सामुदायिक भवन के निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

नगर आयुक्त:- श्री कृष्णापुरी में पटना नगर निगम का सामुदायिक भवन अवस्थित है। यह काफी पुराना एवं जर्जर स्थिति में है। यह सामुदायिक भवन महत्वपूर्ण स्थल पर अवस्थित होने के कारण विभिन्न अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में इसकी स्थिति काफी दयनीय है। इसको तोड़कर नया आधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। पी०आई०यू० के अभियंताओं के द्वारा इसका स्थल जाँच कर प्राक्कलन एव ड्राइंग समर्पित किया गया है। इसे लगभग 30 मीटर x 25 मीटर आकार का B+G+1 संरचना बनाया जाना है। इसका conference room लगभग 11.350 x 25.220 मीटर जो प्रथम तल की ऊँचाई तक रहेगा, का प्रस्ताव है। इसके बेसमेन्ट में गाड़ियों की पार्किंग, प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा मैनेजर का कमरा, स्टेज, शौचालय, कैन्टीन, किचन, डायनिंग हॉल एवं ग्रीन रूम का प्रस्ताव है। प्रथम तल पर क्लासरूम, शौचालय, बैठक कक्ष के अलावा बहुउद्देशीय तीन कमरे का निर्माण किया जाना है। पुराने भवन को विध्वंस करने हेतु अनुमानित 01 लाख रूपये का व्यय होना है। जिसकी स्वीकृति एवं विमर्श हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्रीकृष्णापुरी स्थित सामुदायिक भवन का परिसर काफी महत्वपूर्ण जगह पर है। इस भवन के बन जाने पर निगम को काफी आय होने की संभावना है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्रीकृष्णापुरी स्थित सामुदायिक भवन के लिए पार्किंग की भी जगह होनी चाहिए साथ ही गार्ड एवं केयर टेकर के रहने के लिए कमरा भी रहना चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह सामुदायिक भवन किस मद से बनेगा।

नगर आयुक्त :- यह सामुदायिक भवन का निर्माण निगम मद से होगा।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0-81 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीकृष्णापुरी स्थित पटना नगर निगम के जीर्णशीर्ण सामुदायिक भवन को तोड़कर B+G+1 भवन निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद सं0-11 :- मौर्यालोक कम्पलेक्स स्थित जर्जर जन्म-मृत्यु शाखा की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार के संबंध में।

अध्यक्ष :- मौर्यालोक कम्पलेक्स स्थित जर्जर जन्म-मृत्यु शाखा की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, मौर्यलोक कम्पलेक्स में अवस्थित जन्म एवं मृत्यु शाखा का कार्यालय काफी जर्जर है। बरसात के दिनों में इस भवन के कमरों में पानी चूता है, जिसमें जन्म एवं मृत्यु शाखा के अभिलेखों को क्षति पहुँच रही है। इसके अलावे वहाँ पर लोगों के द्वारा मूत्र त्याग भी किया जाता है।

अतः मेरा सुझाव है कि जन्म मृत्यु शाखा के भवन को या तो तत्काल मरम्मत कराया जाय या अन्य जगह स्थानान्तरित किया जाय।

मुख्य नगर अभियंता :- इस स्थल पर स्मार्ट सिटी द्वारा पार्किंग का प्रस्ताव है। जन्म-मृत्यु शाखा को मौर्या टॉवर में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

नगर आयुक्त :- मौर्यलोक कम्पलेक्स स्थित जन्म एवं मृत्यु शाखा को मौर्या टावर भवन में स्थानान्तरित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 82:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौर्यलोक कम्पलेक्स स्थित जन्म- मृत्यु शाखा को तत्काल मौर्या टावर बिल्डिंग में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद सं0-12:- वार्ड संख्या-56 के अन्तर्गत छोटी पहाड़ी में 20 फीट चौड़ी पुलिया अपने निजी खर्च पर निर्माण करने हेतु एन0ओ0सी0 देने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख नहीं है।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, स्थल को जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

मद सं0-13:- **मोना सिनेमा के पीछे प्लॉट संख्या-1139 पर मोटर साईकिल पार्किंग की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मोना सिनेमा के पीछे प्लॉट संख्या-1139 पर मोटर साईकिल पार्किंग का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पार्किंग के निर्माण एवं रख-रखाव पर निर्णय हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, किताबों को बेचने के लिए दुकानदार को भाड़े पर छोटे-छोटे स्टाल बनाकर दिया जाय। उससे निगम को आय भी होगी और विद्यार्थियों को किताब लेने के लिए इधर-उधर जाना नहीं पड़ेगा। जिसकी स्वीकृति पूर्व में सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त है, परन्तु इस दिशा में कार्य नहीं होना दु:खद है।

नगर आयुक्त :- बी0एन0 कॉलेज के पास पुल बनने के कारण वहाँ किताब बेचने वाले बेदखल हो गये हैं। उनों भी किताब बेचने के लिए जगह देना होगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मोना सिनेमा के पीछे सुश्री रेशमा प्रसाद को 6 सौ वर्गफीट भूखंड Menstrual Cup निर्माण हेतु आवंटित किया गया था। लेकिन वह 2000 वर्गफीट कब्जा कर रेस्टोरेंट चला रही हैं।

अध्यक्ष महोदया, किताब विक्रेताओं को फेब्रिकेटेड दुकान बनाकर आवंटित किया जाय। इसके अलावा पार्किंग का जो प्रस्ताव है वह भी अच्छा प्रस्ताव है। पटना नगर निगम वहाँ पार्किंग के लिए जो प्रक्रिया है उसे आरंभ करायें इससे निगम को अच्छी आय भी प्राप्त होगी।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, स्थल पर जाकर वाहन पार्किंग हेतु स्थल को चिन्हित करें साथ ही पूर्व से वहाँ किताब मंडी भी बनाने का प्रस्ताव है। उक्त स्थल पर निगम में जमा पुराने स्क्रैप का इस्तेमाल कर किताब विक्रेताओं के लिए स्टॉल का भी निर्माण कराएं।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पर्किंग स्थल के निर्माण के बाद उसके रख-रखाव एवं बन्दोबस्ती की कार्रवाई निगम के अधीन होना चाहिए।

प्रस्ताव सं0-83 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया मोना सिनेमा/उद्योग भवन के पीछे प्लॉट संख्या-1139 पर मोटर साईकिल पार्किंग की निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका संचालन पटना नगर निगम करेगा।**

मद सं0-14 :- **बुद्धा स्मृति पार्क के निकट कार पार्किंग में Multi Model Vending Zone बनाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- बुद्धा स्मृति पार्क के निकट कार पार्किंग में Multi Model Vending Zone बनाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- बुद्धा स्मृति पार्क के निकट कार पार्किंग में Multi Model Vending Zone बनाने का प्रस्ताव है। उक्त स्थल पटना नगर निगम को हस्तांतरित हो गया है। उक्त स्थल का वर्षों से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह स्थल पटना जक्शन के सामने है। पटना जक्शन के आस-पास वेंडिंग करने वाले वेण्डर के कारण स्टेशन एरिया में जाम लगता है। यदि स्टेशन के आस-पास के वेण्डर को उक्त स्थल पर वेण्डिंग करने की व्यवस्था कर दी जाय तो स्टेशन एरिया वेण्डरों से मुक्त हो जाएगा। आज इस प्रस्ताव पर विमर्श एवं स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव लाया गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप महापौर :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

प्रस्ताव संख्या-84 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बुद्धा स्मृति पार्क के निकट कार पार्किंग में **Multi Model Vending Zone** बनाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद सं0-15 :- **Maurya Lok Complex में 3D Wall Screen लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **इस आशय का संलेख अप्राप्त है।**

मद सं0-16 :- **मौर्यालोक कम्प्लेक्स में बिटुमेन सड़क का निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को NOC देने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **NOC देने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की 05वीं साधारण बैठक के कार्यसूची क्रम संख्या-15 मे मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में बिटुमेन सड़क का निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को NOC देने का प्रस्ताव है। तदालोक में कार्य हित मे मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में बिटुमेन सड़क का निर्माण का कार्य कराने हेतु पथ निर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन संसुचित करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

1. पथ निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
3. वर्णित कार्य शीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पथों में जल-जमाव न हो एवं सामान्य यातायात सुचारू हो सके।
4. पथ का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- पथ निर्माण विभाग को बिटुमेन सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। सड़क निर्माण होने पर कम्प्लेक्स की सुन्दरता बढ़ जाएगी, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0-85 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया मौर्यालोक कम्प्लेक्स में बिटुमेन सड़क का निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को NOC देने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है :-

1. पथ निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
3. वर्णित कार्य शीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पथों में जल–जमाव न हो एवं सामान्य यातायात सुचारू हो सके।
4. पथ का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।

मद सं0-17 :- **Advance Property Tax भुगतान करने की सुविधा देने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Advance Property Tax भुगतान हेतु सुविधा देने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि चालू वर्ष के माह अप्रैल से जून तक भुगतान करने पर सम्पत्ति धारकों को 5 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इस छूट के कारण उक्त अवधि में काफी संख्या में सम्पत्ति धारकों द्वारा कर का भुगतान किया गया है। जिससे निगम के राजस्व में वृद्धि हुई। पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति धारक जो अग्रिम सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करना चाहते है। उनके लिए ऑन लाईन विकल्प विकसित कर अग्रिम राशि का भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की जा सकती है। जिसमें चार विकल्प बनाया गया है :-

प्रथम विकल्प :- कुल सम्पत्ति कर,
द्वितीय विकल्प :- प्रबंधन शुल्क
तृतीय विकल्प :- कुल सम्पत्ति कर + कुल कचरा प्रबंधन शुल्क
चौथा विकल्प :- अग्रिम (कुल सम्पत्ति कर+कुल कचरा प्रबंधन शुल्क से अधिक)

उक्त विकल्प को विकसित करने से वैसे सम्पत्ति धारक जो निगम क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे हैं। उन्हें भी अग्रिम के रूप में ऑनलाईन के माध्यम से सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने में सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही अग्रिम कर/शुल्क लेने के लिये अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जा सकता है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिस तरह बिजली विभाग उपभोक्ता से अग्रिम राशि लेता है। उसी तरह निगम के द्वारा भी सम्पत्ति कर धारकों के लिए इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए लेकिन इस विषय पर सरकार से अनुमति प्राप्त कर लें।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-86 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति कर धारकों को अग्रिम सम्पत्ति कर भुगतान हेतु ऑनलाईन के माध्यम से नया विकल्प विकसित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है।**

मद सं0-18 :- **Wagon India के Lease Property पर निर्णय लेने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **Wagon India के Lease Property पर निर्णय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- इस संबंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। इसे अगली बैठक में विस्तृत विवरण के साथ लाया जायेगा।

मद सं0-19 :- **वार्ड संख्या-53 में पाईप लाईन विस्तार की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पाईप लाईन विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने Pipe Line विस्तार से संबंधित योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए Pipe Line से संबंधित कुल 02 योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु निवेदित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying D.I Pipe in Rubi Marriage Hall Shershah Road at Ward No.-53	20,99,600.00
2	Extension of Pipe Line from Danka Imli Golambar to Gur ki Mandi at Ward No.-53	51,08,200.00

उक्त के आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है। (प्राक्कलन संलग्न) जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-53 में पेय जल आपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति देना है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-53 पेय जल आपूर्ति पाईप लाईन विस्तार योजना से वहाँ की जनता काफी फायदा होगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-87 :- **सर्वसम्मति से वार्ड संख्या-53 के अन्तर्गत पाईप लाईन विस्तार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying D.I Pipe in Rubi Marriage Hall Shershah Road at Ward No.-53	20,99,600.00
2	Extension of Pipe Line from Danka Imli Golambar to Gur ki Mandi at Ward No.-53	51,08,200.00

मद सं0-19 (क) :- **वार्ड संख्या- 58 में पाईप लाईन विस्तार की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पाईप लाईन विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने Pipe Line विस्तार से संबंधित योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

2 पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए Pipe Line से संबंधित कुल 01 योजना के निर्माण कार्य हेतु निवेदित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying D.I Pipe Line in New Pump Pipe Line to Lalan Hijara House at Ward No-58	20,29,900.00

उक्त के आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है। (प्राक्कलन संलग्न) जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-58 में पेय जल आपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति देनी है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह:-माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-58 पेय जल आपूर्ति पाईप लाईन विस्तार से वहाँ की जनता काफी फायदा होगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-88 :- **सर्वसम्मति से वार्ड संख्या-58 के अन्तर्गत पाईप लाईन विस्तार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying D.I Pipe Line in New Pump Pipe Line to Lalan Hijara House at Ward No-58	20,29,900.00

मद सं0-20 :- **सशक्त स्थायी समिति के माननीय सदस्यों/पार्षदों /निगम कर्मचारियों एवं मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों तथा दुकानदारों के लिए पार्किंग स्थल एवं पास निर्गत करने के संबंध में।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों तथा दुकानदारों के लिए पार्किंग स्थल एवं पास निर्गत करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वाहन पार्किंग पास निर्गत करने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मौर्यालोक कम्प्लेक्स परिसर में सरकारी, गैर-सरकारी, दुकानदारों एवं माननीय पार्षदों के लिए पार्किंग हेतु जगह चिन्हित होना चाहिए ताकि वे अपना वाहन उचित स्थान पर लगा सकें। पार्किंग हेतु पास की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम कार्यालय में पार्षद अपने वार्ड की समस्या को लेकर आकर आते है लेकिन उनके लिए मौर्यालोक कॉम्पलेक्स परिसर में कहीं भी पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माननीया अध्यक्ष महोदया मौर्यालोक के साथ-साथ पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्किंग स्थलों पर माननीया/माननीय पार्षदों को निःशुल्क पार्किंग हेतु पास निर्गत किया जाय। क्योंकि माननीया/माननीय पार्षद को जनहित के कार्य से शहर के सभी क्षेत्रों में आना-जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि माननीय पार्षदों के लिए वाहन पुरे पटना नगर शहर में निगम के पार्किंग स्थलों पर निःशुल्क पार्किंग के लिए पास निर्गत करने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- उप-नगर आयुक्त,(स्थापना) मौर्यालोक कम्प्लेक्स परिसर में वाहन पार्किंग के संबंध में अविलम्ब कार्रवाई करें। साथ ही माननीया/माननीय पार्षदों के लिए पटना नगर निगम के सभी

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

आरक्षित पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्किंग के लिए पास निर्गत किया जाय।

प्रस्ताव सं0-89 :-(क) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सशक्त स्थायी समिति के माननीय सदस्यों/ पार्षदों, कर्मचारियों एवं मौर्यलोक कॉम्पलेक्स स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों तथा दुकानदारों के लिए पार्किंग स्थल एवं पास निर्गत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) माननीया/माननीय पार्षदों के लिए पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी वाहन पार्किंग स्थलों पर निःशुल्क पास निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद सं0-21 :- **विद्युत प्रमंडल अन्तर्गत लाइट मरम्मति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु Revolving Fund उपलब्ध कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Revolving Fund उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के विद्युत प्रमंडल अन्तर्गत सभी मुख्य एवं प्रधान मार्गों, फ्लाईओवर ब्रिज पर अधिष्ठापित पैनल मरम्मति, केबल मरम्मति, महत्वपूर्ण पर्वों पर अस्थायी लाईट व्यवस्था, मौर्यालोक कम्प्लेक्स में विद्युत संबंधित कार्यों आदि जैसे आवश्यक कार्य निरंतर होते रहते हैं जिसके लिए समय-समय पर सामग्रियों का क्रय करना पड़ता है जिससे कि कार्यों का निष्पादन समय पर हो सके। प्रमंडल अधीन फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है। विद्युत प्रमंडल द्वारा सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में विद्युत संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाता है जिसके लिए प्रमंडल को 15,00,000/-(पन्द्रह लाख रूपये) मात्र Revolving Fund उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विद्युत प्रमंडल के अन्तर्गत लाईट की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक कार्य कराने के लिए 15 लाख रू0 Revolving Fund देने का प्रस्ताव है। गुलबीघाट एवं दीघा घाट में विद्युत शवदाह गृह की मरम्मति तथा नन्दगोला घाट में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य करना है। गुलबीघाट में काफी मात्रा में शव को दाह

महापौर
पटना नगर निगम

संस्कार के लिए आते हैं। इसकी मरम्मति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नगर आयुक्त :- पी०आई०यू० प्रमंडल से तीनों घाटों नन्दगोला घाट, गुलबीघाट एवं दीघा घाट को मरम्मति एवं रख-रखा कार्य कराया जायेगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, लाईट की स्थिति काफी खराब है। कहीं-कहीं तो महीनों से लाईट नहीं जल रहे हैं। उसका रख-रखाव ठीक नहीं है। जोनल को जबसे लाईट मरम्मति का कार्य दिया गया है तब से मरम्मति कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जोनल को लाईट मरम्मति कार्य से हटाया जाय। निगम रख-रखाव के लिए पैसा कम्पनी को दे रही है। उसे और लाईट लगाने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बिजली कम्पनी के एकरारनामा में यह स्पष्ट है कि जितना दिन बल्ब नहीं जलेगा उतने दिन के लिए पैसे की कटौती होगी। इस पर जाँच कर कारंवाई की जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, लाईट की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक कार्यो के लिए विद्युत प्रमंडल को Revolving Fund के रूप में 15 लाख रू0 देने का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, लाईट मरम्मति कार्य से जोनल को हटाया जाय। कार्यपालक अभियंता (विद्युत प्रमंडल) को इसकी जावबदेही दी जाय। पूर्व में विद्युत प्रमंडल को देख-रेख में ही काम अच्छा होता था।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-90 :-(क) **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्युत प्रमंडल अन्तर्गत लाइट की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु Revolving Fund के रूप में 15 लाख रूपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

(ख) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लाईट मेंनटनेंस की जवाबदेही जोनल टीम से हटाकर पुनः विद्युत प्रमंडल, पटना नगर निगम को दी जाती है।

मद सं0-22 :- **वार्ड संख्या-53 अन्तर्गत गौरी शंकर मंदिर स्थित पार्क में शौचालय निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है। इसे अगली बैठक में रखें।

अ0मद सं0-01:- **गुलबी श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- गुलबी श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कार्य का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- यह विषय गुलबी श्मशान घाट स्थित पुराने विद्युत चालित श्मशान भवन के संबंध में है। इसके पायर कमरे की छत बिल्कुल गिरने की स्थिति में है साथ ही साथ पूरे भवन का प्लास्टर/ रंगाई कराने की आवश्यकता है। श्मशान घाट में पैनल रूम, शौचालय एवं दरवाजे खिड़कियों की स्थिति दयनीय है। इसके लिए पी.आई.यू. के द्वारा 58,41,000/- का प्राक्कलन बनाया गया है। इस प्राक्कलन में पक्के घाट एवं कुछ अतिरिक्त शेड तथा बैठने की व्यवस्था, वेटिंग हॉल, टॉयलेट एवं चार अदद् वाटर कुलर अधिष्ठापन का भी प्रस्ताव है। प्राक्कलित राशि 58,41,000/- के प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है। इसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

डा0 आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह मामला जनहित से संबंधित है। गुलबी घाट पटना का महत्वपूर्ण श्मशान घाट है इससे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यहाँ कुछ बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी है। इससे आमजनों में निगम के प्रति अच्छी छवि बनेगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय। इस पर होने वाला व्यय किस मद से होगा ?

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- गुलबी श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कार्य पर होने वाले व्यय को पर्यावरण मद से किया जाएगा।

प्रस्ताव सं.0-91 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गुलबी श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 58,41,000/- है की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस पर होने वाला व्यय पर्यावरण मद की राशि से की जाएगी।**

अ0मद सं0-02:- **पटना नगर निगम क्षेत्रन्तर्गत पाटलिपुत्र कॉलनी के रोड संख्या-02 से रोड संख्या-03 तक के सड़क का नाम स्व0 मनोज कुमार श्रीवास्तव(सेवानिवृत आई0ए0एस0) के नाम से नामकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें

नगर आयुक्त :- स्व0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, 1980 बैच के भा.प्र.से. के बिहार कैडर के पदाधिकारी थे। स्व0 मनोज कुमार श्रीवास्तव एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासन प्रिय पदाधिकारी थे। आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 में बिहार में आई बाढ़ के दौरान दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त भोजन वितरण में स्व0 श्रीवास्तव का महत्वपूर्ण योगदान था। इस हेतु पाटलिपुत्रा कॉलोनी के रोड नं0-02 से रोड नं0-03 तक की सड़क का नाम स्व0 मनोज कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत आई.ए.एस) के नाम से नामकरण करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

डा0 आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया,स्व0 मनोज कुमार श्रीवास्तव एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासन प्रिय पदाधिकारी थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों के नाम से पथों के नामकरण होने से समाज में जागरूकता पनपेगी एवं हर व्यक्ति देश-राष्ट्र एवं शहर के लिए समर्पित रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित होंगे। नामकरण की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के विचार से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-92 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पाटलिपुत्र कॉलोनी के रोड संख्या-02 से रोड संख्या-03 तक के सड़क का नाम स्व0 मनोज कुमार श्रीवास्तव(सेवानिवृत आई0ए0एस0) के नाम से नामकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-03:- **GIS based Mechanized and Manual Sweeping हेतु चयनित एजेंसी द्वारा प्राप्त दर पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- चयनित एजेंसी द्वारा प्राप्त दर पर स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम द्वारा की गई निविदा सं0–33/CME/PMC/2022 Selection of Agency For GIS-based Mechanized and Manual Sweeping of Selected Roads (wall to wall basis) in Patna Municipal Corporation area.से संबंधित कार्य में न्यूनतम दर दाता Global Waste Management Cell Pvt. Ltd का चयन किया गया है। उनके द्वारा दर वार्त्ता के उपरान्त निम्नलिखित दर पर कार्य आवंटन निर्गत किया गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राप्त दर	
1	Cleaning & Sweeping work on roads, service lane, flyover etc. by mechanized sweeping including fuel and transportation of waste to transfer (on wall to wall basis) as per scope of work.(Unit per Km)(On rent basis)(Exclusive of the GST)(In Rs.)	1299.00	The rates for each work will be increased every year @ 5% on previous year rates for subsequent years.
2	Manual Cleaning of footpath/service lane/Road berm/centre verge/roundabout/road gully etc. on wall to wall basis including transportation of waste to transfer station. As per scope of work (Per Square Mtr.)(Exclusive of the GST)(In Rs.)	0.26	

एजेंसी द्वारा इस कार्य हेतु 10 अदद Road Sweeping Machine एवं मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। गाड़ियों की संख्या आवश्यकता अनुरूप घटाई-बढ़ाई जा सकती है। सड़कों की सफाई Road Sweeping Machine से की जाएगी एवं फुटपाथों की सफाई मानव बल द्वारा करवाया जाएगा। अतः उक्त के दर पर चयनित एजेंसी को कार्य की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, हमलोगों को धीरे-धीरे Mechanized Cleaning की तरफ बढ़ना होगा। प्रस्ताव निगम हित एवं जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव जनहित एवं निगम हित में है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-93:- **<u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि GIS based Mechanized and Manual Sweeping हेतु चयनित एजेंसी द्वारा प्राप्त दर पर स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-</u>**

क्र0	कार्य का नाम	प्राप्त दर	
	Cleaning & Sweeping work on roads, service lane, flyover etc. by mechanized sweeping including fuel and transportation of waste to transfer (on wall to wall basis) as per scope of work.(Unit per Km)(On rent basis)(Exclusive of the GST)(In Rs.)	1299.00	The rates for each work will be increased every year @ 5% on previous year rates for subsequent years.
	Manual Cleaning of footpath/service lane/Road berm/centre verge/roundabout/road gully etc. on wall to wall basis including transportation of waste to transfer station. As per scope of work (Per Square Mtr.)(Exclusive of the GST)(In Rs.)	0.26	

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अ0मद सं0-04:- **दीघा श्मशान घाट का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कार्य की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- दीघा श्मशान घाट का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कार्य का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दीघा श्मशान घाट पर सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जे.पी. सेतु के निकट होने के कारण उत्तरी बिहार के लोग भी अंतिम संस्कार के लिए इस घाट पर पहुँचते हैं। वर्तमान में यहाँ विद्युत चालित संयंत्र नहीं लगे हैं तथा पारम्परिक तरीके से ही शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एन.बी.सी.सी. के द्वारा 02 अदद् पायर का शेड पूर्व से निर्मित है। दीघा श्मशान घाट की महत्ता को देखते हुए जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। इस कार्य हेतु पी.आई.यू. प्रमंडल के द्वारा 02 प्राक्कलन बनाया गया है। पहले भाग में दो यूनिट 20'X50' का शेड रोड, फ्लैंक का विकासात्मक कार्य, 55 रेलिंग तथा बैठने की व्यवस्था पक्का सीढ़ी एवं पक्का रैम्प, गैबियन, पार्क एवं Landscaping प्रावधानित है। इसकी कुल प्राक्कलित राशि 1,43,95,700/-है जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से अपेक्षित है ताकि निगम बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किया जा सके।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया,जनहित का मामला है, इसे पारित किया जाय।

श्री इन्ददीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, यह आमलोगों के हितों से संबंधित है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-94:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीघा श्मशान घाट का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कार्य, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 1,43,95,700/-है के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अ०मद सं०-05:- **पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रीकास्ट मैनहॉल, स्लैब ढक्कन सहित कास्ट कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- प्रीकास्ट मैनहॉल, स्लैब ढक्कन सहित कास्ट कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग आकार के 75940 अद्द मैनहॉल है। सभी मैनहॉल की अद्यतन स्थिति की जाँच करने हेतु मुख्यालय स्तर से वार्ड वार अभियंताओं की टीम भेजी गई थी। इस जाँच में संबंधित वार्ड में माननीय वार्ड पार्षद/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी वार्डों से जाँचोपरान्त प्राप्त जानकारी के अनुरूप पटना नगर निगम क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मैनहॉल की संख्या- 2121 एवं क्षतिग्रस्त ड्रेन कवर 932 है। प्रमंडलवार क्षतिग्रस्त मैनहॉल की सूचि निम्न है:-

S.No	Name of Circle	As Per Survey Total Manhole Required	As Per Survey Total Drain Cover Required
1	Patliputra	881	372
2	New Capital	377	142
3	Kankarbagh	435	57
4	Patnacity	45	24
5	Bankipur	287	210
6	Azimabad	96	127
	Total	2121	932

पूर्व में निदेशानुसार प्रमंडलवार कुल 725 अद्द प्रीकास्ट मैनहॉल स्लैब/ढक्कन कास्ट किया गया है। प्रमंडलवार सूची निम्न प्रकार है:-

S.No	Name of Circle	Manhole Already Casted
1	Patliputra	165
2	New Capital	175
3	Kankarbagh	142
4	Patnacity	22
5	Bankipur	182
6	Azimabad	39
	Total	725

शेष बचे 1396 मैनहॉल स्लैब/कवर एवं 932 ड्रेन कवर के प्रमंडलों/अंचलों के क्षेत्र में सामूहिक Cast करने की योजना है। Cast किए गए इन मैनहॉल स्लैब/ड्रेन कवर को आवश्यकतानुसार वार्डो में Carriage कर ले जाया जाएगा एवं इसे सही स्थानों पर Fix किया जा सकेगा।

अतः शेष बचे हुए 1396 मैनहॉल स्लैब एवं 932 ड्रेन कवर Carriage Charge के साथ प्रीकास्ट एवं Carriage कर संबंधित क्षेत्र में ले जाने की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण योजना है। इससे समय की बचत होगी साथ ही साथ क्योरिंग की उचित व्यवस्था होने की वजह से मजबूत भी होगा। पटना क्षेत्र में अन्य एजेंसियों यथा पथ निर्माण विभाग के द्वारा भी प्रीकास्ट ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। अतः व्यय एवं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह योजना उपयोगी है, इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के विचार से सहमत हूँ। संलेख के अवलोकन से पता चलता है कि पटना सिटी एवं अजिमाबाद अंचल में सर्वे में कहीं न कहीं चूक हुई है। पटना सिटी एवं अजिमाबाद अंचल में स्लैब लगाये जाने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध होगा कि पटना सिटी एवं अजिमाबाद अंचल में पुनः जाँच कराकर छूटे हुए स्लैब एवं नाला को सूची में संलग्न करते निर्माण कराया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार:- इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0 95 :- (क) **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रीकास्ट मैनहॉल, स्लैब ढ़क्कन सहित कास्ट कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

(ख) **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सूची में छूटे हुए पटना सिटी एवं अजिमाबाद अंचल के नालों के ऊपर प्रीकास्ट स्लैब ढ़क्कन लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-06:- पटना नगर निगम के कन्ट्रॉल रूम (**War ROOM**) हेतु 03 अदद **Utility Vehicle** क्रय करने के संबंध में।

नगर आयुक्त:- पूर्व में पटना नगर निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से कुल 06 अदद यूटिलिटी व्हेकिल (टाटा योद्धा) का क्रय क्यू0आर0टी0 टीम के लिए किया गया है। उक्त गाड़ी से कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का ससमय

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

निष्पादन नहीं हो पा रहा है, को ध्यान में रखते हुए 03 अदद और अतिरिक्त यूटिलिटी व्हेकिल कय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा:- अध्यक्ष महोदया, पूर्व में कय गाड़ियों से नागरिकों के शिकायतों के निवारण में अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ है। इसलिए 03 अदद और क्रय का प्रस्ताव है, को जन समान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री मनोज कुमार:- अध्यक्ष महोदया, 03 अदद **Utility Vehicle** क्रय किया जा सकता है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0 96:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के कन्ट्रॉल रूम (War ROOM) हेतु 03 अदद Utility Vehicle क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-07:- Construction of PCC Road Work From Captain Deepak ji House to Phulwari Gumati (Main Road) Upharpura in ward no---03 के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में विभिन्न वार्डों में आधारभूत संरचना अंतर्गत मैनहॉल, एवं पक्की सड़क एवं अन्य कार्य के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई है। विदित हो कि विगत वर्ष 2019 में अतिवृष्टि/बाढ़ से हुए जल-जमाव के कारण आम जनता को भीषण कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।

पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए **Construction of PCC Road Work From Captain Deepak Ji**

महापौर
पटना नगर निगम

House to Phulwari Gumati (Main Road) Upharpura in Ward No-03 निर्माण कार्य अतिमहत्वपूर्ण है। जिसके आलोक में संबधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 13515765.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ पैसठ) रूपये मात्र है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

ज्ञातव्य है कि उक्त कार्य से संबंधित प्रश्न बिहार विधान सभा के 182वें सत्र मे पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या- एल०जी०- 37 में सम्मिलित है।

श्री इन्द्रदीप चन्द्रवंशी:- अध्यक्ष महोदया, जनता की कठिनाईयों को ध्यान में देखते हुए इस योजना की स्वीकृति दी जा सकती है तथा मेरा सुझाव होगा कि इस योजना पर व्यय होने वाली राशि की मांग विभाग से की जाय क्योंकि निगम मद की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, जनहित में इस कार्य को कराने हेतु राज्य योजना से राशि की मांग की जाय ।

प्रस्ताव सं0-97 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of PCC Road Work From Captain Deepak ji House to Phulwari Gumati (Main Road) Upharpura in ward no---03 जिसकी प्राक्कलित राशि 13515765.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ पैसठ) रूपये मात्र है की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य योजना मद से किया जाएगा।**

अ0मद सं0-08:- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-44 हनुमान नगर के MIG 16/17/18 के बीच स्थित पार्क का नाम स्व0 भवेश कुमार डेहगवे के नाम से नामकरण करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की पाँचवी बैठक मे वार्ड संख्या- 44 हनुमान नगर के MIG 16/17/18 के बीच

महापौर
पटना नगर निगम

स्थित पार्क का नाम स्व०- भवेश कुमार डेढ़गवे के नाम से नामकरण करने का प्रस्ताव है।

स्व० भवेश कुमार डेढ़गवे सेवानिवृत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एवं प्रसिद्ध समाज सेवक थे। वे हमेशा जनकल्याण के लिए तत्पर रहते थे। अतः स्थानीय जनता के भावनाओं को ध्यान मे रखते हुए वार्ड संख्या- 44 हनुमान नगर के MIG 16/17/18 के बीच स्थित पार्क का नाम स्व०- भवेश कुमार डेढ़गवे के नाम से नामकरण करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा:- अध्यक्ष महोदया, स्व0 भवेश कुमार डेढ़गवे एक न्यायप्रिय एवं समाजसेवी थे। वे स्थानीय लोगों में लोकप्रिय थे। उनके नाम पर पार्क के नामकरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, नामकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी:- अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव निगम हित में है,पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-98 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-44 हनुमान नगर के MIG 16/17/18 के बीच स्थित पार्क का नाम स्व0 भवेश कुमार डेढ़गवे के नाम से नामकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0- 09 :- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न 332 ई-कार्ट वाहन में तथा 50 अतिरिक्त यानी कुल 382 जीपीएस का अधिष्ठापन करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **वाहनों में GPS के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें क्लोज टीपर, ओपेन टीपर तथा ई-कार्ट का उपयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में संलग्न क्लोज टीपर तथा ओपेन टीपर में पूर्व से जीपीएस अधिष्ठापित है। परन्तु ई-कार्ट में जीपीएस अधिष्ठापित नहीं है।

निगमहित एवं कार्यहित को देखते हुए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में संलग्न 332 ई-कार्ट वाहन में तथा 50 अतिरिक्त यानी कुल 382 जीपीएस का अधिष्ठापन के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सफाई वाहनों में जीपीएस लगाने पर कौन सा वाहन किस गली एवं सड़क से कचरे उठाव का कार्य कर रहा है। उसका आसानी से पता चल जाएगा। यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, जीपीएस लगाने का प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- सभी ई कार्ट में जीपीएस के अधिष्ठापन हो जाने से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के कार्य की निगरानी में मदद मिलेगी तथा गाड़ियों का सही लोकेशन ज्ञात होगा। यह कार्य निगम हित में है । इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-99 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न 332 ई-कार्ट वाहन में तथा 50 अतिरिक्त यानी कुल 382 वाहनों में जीपीएस अधिष्ठापन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0- 10:- बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन(मॉडल) उपविधि 2019 के क्रियान्वयन एवं अंगीकार करने के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 697 दिनांक 06.03.2019 द्वारा बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मॉडल) उपविधि2019 की प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त नगर निकायों में क्रियान्वयन एवं अंगीकार करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। उपविधि के क्रियान्वयन और अंगीकार करने हेतु पत्र में निम्नवत कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है –

1. अधिनियम की धारा-422 के अधीन इससे प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों की जानकारी एवं आपत्ति के लिए बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 की printedcopy (छायाप्रति) 30 दिनों तक निकाय के सूचना पटल पर लगाया जाय।
2. निकाय के वेब-पोर्टल पर बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 की प्रति भी अपलोड कराई जाये, ताकि शहर के नगरवासी इसका अवलोकन कर सकें।
3. जानकारी के लिए बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 की printed copy (छायाप्रति) की मांग किए जाने पर एक निर्धारित शुल्क पर 30 दिनों तक दिया जा सकता है।
4. सभी नगरनिकायों को निदेशित किया जाता है ही राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हैं। अतः इसे हर वर्ग के लोगों तक व्यापक प्रचार प्रसार कर इसकी सूचना आम जनों को सुलभ करना है विभाग द्वारा इसके प्रचार सामग्री तैयार की गयी है। निकाय द्वारा 30 दिन तक लगातार व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना है।

उक्त के आलोक में पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि,2019 का प्रारूप तैयार किया गया है | बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मॉडल) उपविधि, 2019 के Schedule-I में यूजर चार्ज की विवरणी दी गयी है और यह उल्लेखित किया गया है कि "यह एक परामर्श है– शहरी स्थानीय निकाय अपने स्तर से यूजर चार्जेस नियत कर सकेगी"। इस परामर्श के आलोक में बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मॉडल) उपविधि, 2019 में परामर्शित यूजर चार्जेस में कुछ परिवर्तन कर पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि,2019 के Schedule-I में शामिल किया गया है। सुलभ अवलोकन के लिए "पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि,2019" का प्रारूप संलग्न है।

कचरा प्रबंधन यूजर जार्च की वसूली को प्रभावी एवं सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव है :-

1. किरायेदार का कचरा प्रबंधन यूजर चार्ज भी यदि सम्पति धारक से लिया जाय, तो संग्रहण प्रभावी और सुगम हो सकता है।
2. कचरा प्रबंधन शुल्क सम्पत्ति कर के साथ संग्रहण करने पर, संग्रहण सुगम और प्रभावी हो सकता है। इसका प्रावधान बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मॉडल) उपविधि के अध्याय 10 के कंडिका 15(3) में है। जिसे निगम पर्षद द्वारा तय किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है ताकि निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू

महापौर

पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मॉडल) उपविधि, 2019 को निगम में लागू करना एवं उसे अंगीकार करना है। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन से हमें राशि प्राप्त होती है।

नगर आयुक्त :- माननीया सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन(मॉडल) उपविधि, 2019 के क्रियान्वयन एवं अंगीकार करने से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में वाद चल रहा है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र के भवन मालिकों से कचरा शुल्क लिया जा रहा है। हमें उपविधि, 2019 को अंगीकार करना है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- जब घर घर से कचरा लेने के लिए आता है तो कचरा शुल्क का भुगतान होना चाहिए। इससे संबंधित नियम को अंगीकार करने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-100 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मॉडल) उपविधि 2019 के क्रियान्वयन एवं अंगीकार करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

नगर आयुक्त :- माननीया सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण,2023 के अन्तर्गत Garbage Free City का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में "**मेरा सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम**" 01.08.2023 से चलाया जायेगा। इस दरम्यान सड़कों की सफाई हेतु पर्यवेक्षण /कर्मी की जिम्मेदारी होगी। इस कार्यक्रम में माननीय सदस्यों का भी सहयोग लिया जायेगा। इस अभियान के तहत घरों /दुकानों का कचरा सड़क पर फेंकते

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

है तो उन्हें **सड़क शत्रु** के रूप में चिन्हित किया जायेगा और उन पर रू0500/- का दण्ड भी लगाया जायेगा।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता के लिए यह अच्छा प्रस्ताव है, इस पर कार्रवाई की जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नालों का जाम होना मुख्य कारण यह भी है कि खटाल वाले गोबर को मेनहोल में डाल देते हैं एवं सड़कों पर गाय एवं भैंस बांधे रहते हैं।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सैदपुर, कदमकुआँ सहित निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़क पर ही कई जगह खटाल बने हुए हैं। प्रशासन देख कर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। सड़कों पर से खटाल हटाने हेतु कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-11.06.2023 को सशक्त स्थायी समिति की तृतीय साधारण बैठक में मद संख्या-04 प्रस्ताव संख्या-23 में आँशिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। भूलवश प्रत्येक वार्ड में हर-घर जल पहुँचाने हेतु 05-05 नये समरसुबुल बोरिंग का अधिष्ठापन 15वें वित्त आयोग की राशि से की जानी थी। भूलवश 15वें वित्त आयोग की स्थान पर छठा वित्त अँकित हो गया है। अत: मेरा प्रस्ताव है कि छठे वित्त के स्थान पर 15वें वित्त आयोग से किये जाने का निर्णय लिया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। सभी वार्डों में पेय जल की समस्या को देखते प्रत्येक वार्ड 05-05 समरसेबुल बोरिंग अभिष्ठापन की आवश्यकता है। आँशिक संशोधन के साथ इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आँशिक संशोधन के साथ इस प्रस्तव को पारित किया जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0-105 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-11,06,2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की तृतीय साधारण बैठक की मद संख्या-04, प्रस्ताव संख्या-23(ख) में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक वार्ड में हर घर नल का जल पहुँचाने हेतु 05-05 नये समरसेबुल बोरिंग का अधिष्ठापन 15वें वित्त आयोग की राशि से कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
8/9/2023
महापौर
(सीता साहू)
पटना नगर निगम
अध्यक्ष,

पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

09/09/23

नगर सचिव,

पटना नगर निगम,पटना।